

टाप शीट

संचालन नियम संख्या इज्जत/56

लागू तिथि 06.8.2014

हल्दीरोड स्टेशन पर दोनो ओर के डिस्टेन्ट सिगनलो के आस्पैक्ट में परिवर्तन के प्रावधान के सम्बन्ध में हल्दीरोड स्टेशन के संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/56 दिनांक 02.02.2010 की संशोधन पर्ची संख्या 1 दिनांक 10.6.2014

संशोधन के कारण निम्नलिखित पृष्ठों को बदल दिया गया :-

सामान्य भाग :-

1. पृष्ठ संख्या 1 पैरा 1 संशोधित
2. पृष्ठ संख्या 7 पैरा 4.3 संशोधित
3. पृष्ठ संख्या 11 पैरा 6.7 संशोधित
4. पृष्ठ संख्या 12 एवं 13 पैरा 7 में 7.1 जोड़कर संशोधित
5. पृष्ठ संख्या 15 पैरा 3 संशोधित
6. पृष्ठ संख्या 18 पैरा 10 संशोधित
7. पृष्ठ संख्या 53ए परिशिष्ट 'ग' जोड़कर संशोधित
8. पृष्ठ संख्या 56 परिशिष्ट 'ड़' पैरा 9 जोड़कर संशोधित
9. पृष्ठ संख्या 57 परिशिष्ट 'च' जोड़कर संशोधित
10. पृष्ठ संख्या 58 परिशिष्ट 'छ' जोड़कर संशोधित

सिगनलिंग परिशिष्ट :-

1. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 44 मद संख्या 1 संशोधित
2. परिशिष्ट 'ख' पृष्ठ संख्या 45 मद संख्या 3 संशोधित
3. आर0डी0 सं0 411 दिनांक 7.2.99 Alt''A'' दिनांक 14.1.2004 को आर0डी0 सं0 411 दिनांक 7.2.99 Alt''B'' दिनांक 29.4.2014 द्वारा बदल दिया गया।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगनल एवं दूरसंचार इंजी0
इज्जतनगर

(जे0ए0आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा0)
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

संख्या-इज्जतनगर/56

पूर्वोत्तर रेलवे

इज्जतनगर मण्डल

हल्दी रोड स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम (बड़ी लाइन)

जारी तिथि
लागू तिथि
पुनरीक्षण तिथि

”बी” श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बल्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी :** 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/56 दिनांक 9.7.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या CSTE/ Con /93 (YD)/1.Alt.”L&N” पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 411 दिनांक 7.12.99 आल्ट्रेशन ‘ बी ’ दिनांक 4.2014 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

हल्दी रोड स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर ”बी” श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 59.00 किमी०, तथा काठगोदाम से 30.16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनों ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

लालकुआ जं० (पूर्व दिशा में) 7.63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रूद्रपुर सिटी (पश्चिम दिशा में) 14.80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हाल्ट स्टेशन :- कोई नहीं।

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए.आजमी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

**हल्दी रोड स्टेशन के कार्य संचालन हेतु नियम
(बड़ी लाइन)**

जारी तिथि 02.02.2010

लागू तिथि 3.2.2010

पुनरीक्षण तिथि Feb-15

"बी" श्रेणी, इकहरी लाइन, अन्तर्पाशन मानक I
(बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले (MACL) सिगनलों सहित)

पूर्ण ब्लाक पद्धति पर संचालित

(साधारण एवं सहायक नियम 8.01(1) (क) (ग), (2) (ख), 8.03(2) (क) (ख) (ग) (ii) देखें)

- टिप्पणी** : 1. संचालन नियम संख्या इज्जतनगर/56 दिनांक 9.7.2008 को निरस्त करके निम्नलिखित संशोधित नियमों को लागू किया जायेगा ।
2. इन स्टेशन संचालन नियमों को पूर्वोत्तर रेलवे पर लागू साधारण एवं सहायक नियमों के साथ जिसकी एक प्रति कार्यरत स्टेशन मास्टर के पास हर समय उपलब्ध रहेगी, पढ़ा जाना चाहिये। ये नियम किसी भी परिस्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों का अतिक्रमण नहीं करते ।

1. स्टेशन संचालन नियम आरेख (रूल डायग्राम) :

सी० एस० टी० ई० / पूर्वोत्तर रेलवे/गोरखपुर की एस०आई०पी० संख्या CSTE/ Con/93 (YD)/1. Alt."H" पर आधारित इस स्टेशन का नियमांश सं० 411 दिनांक 7.12.99 आल्टरेशन 'ए' दिनांक 14.1.2004 तक अद्यतन संलग्न है, जिसमें कॉटों, सिगनलो तथा लाइनो की सामान्य स्थिति दर्शायी गयी है। दुर्घटनाओं आदि का विवरण देते समय उसमें प्रदर्शित कॉटो तथा लाइनो की संख्या का उल्लेख करना आवश्यक है ।

2. स्टेशन का विवरण :

2.1. सामान्य (स्थिति) :

हल्दी रोड स्टेशन रामपुर जं० - काठगोदाम मार्ग पर इकहरी बड़ी लाइन पर "बी" श्रेणी का स्टेशन है। यह स्टेशन रामपुर जं० से 59.00 किमी०, तथा काठगोदाम से 30.16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

2.2. दोनो ओर के ब्लाक स्टेशन, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० तथा उनकी दूरी और बाहरी साइडिंगें :

लालकुआ जं० (पूर्व दिशा में) 7.63 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

रुद्रपुर सिटी (पश्चिम दिशा में) 14.80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

आई०बी०एच०, आई०बी०एस० की स्थिति :- इस स्टेशन के दोनों ओर कोई आई०बी०एच०, आई०बी०एस० स्थित नहीं है।

बाहरी साइडिंग :- कोई नहीं।

हॉल्ट स्टेशन :- कोई नहीं।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2.3. स्टेशन के दोनो ओर के ब्लाक खण्ड :

स्टेशनों के बीच	वह स्थान जहाँ से ब्लाक खण्ड शुरू होता है	वह स्थान जहाँ ब्लाक खण्ड समाप्त होता है
हल्दी रोड - लालकुआ जं०	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दी रोड)	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (लालकुआ जं०)
हल्दी रोड - रूद्रपुर सिटी	डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल (हल्दी रोड)	अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल (रूद्रपुर सिटी)

2.4 ढलान (ग्रेडियेन्ट) यदि कोई हो :

लालकुआ जं० की ओर यार्ड में 692 : 1 चढ़ता हुआ ढलान ।

2.5 अभिन्यास (ले-आउट) :

अभिन्यास केवल 4 लाइनो का है। लाइन संख्या 1 से 3 परिचालित लाइने है। लाइन संख्या 4 अपरिचालित लाइन है तथा परिचालित लाइन संख्या 3 से निकली है।

2.5.1. परिचालित लाइने तथा स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

(क)

परिचालित लाइन संख्या	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
लाइन सं०-1	710 मीटर	प्लेटफार्म वाली लूप लाइन
लाइन सं०-2	686 मीटर	मेन लाइन
लाइन सं०-3	686 मीटर	लूप लाइन

(ख) परिचालित लाइन संख्या-2, सीधी लाइन है । परिचालित लाइन सं० 1, 2 एवं 3 रेल पथ परिपथ युक्त (ट्रैक सर्किटेड) है। रेल पथ परिपथ अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल से डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल और होम सिगनल के मध्य दो रेल की लम्बाई तक भी दोनो ओर दिया गया है। स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर लाइन के अभिधृत (Occupied) तथा साफ होने का संकेत छोटे लाल तथा सफेद प्रकाश के रूप में दिया गया है।

(ग) अप अथवा डाउन गाड़ियों किसी भी परिचालित लाइन पर/से अथवा किसी दिशा से और किसी दिशा को ली अथवा भेजी जा सकती है ।

2.5.2. अपरिचालित लाइने उनकी स्पष्ट धारक लम्बाई (सी०एस०आर०) :

लाइन संख्या	विवरण	स्पष्ट धारक लम्बाई मीटर में (सी०एस०आर०)	टिप्पणी
4	रेक हैण्डलिंग साइडिंग	712 मीटर	काँटा सं० 101-101X तथा 102-102X द्वारा रनिंग लाइन सं० 3 से प्रथक

2.5.3 अभिन्यास (ले-आउट) में मुख्य विशेषताएं : कुछ नहीं।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2.6. **समपार फाटक :**

- i) स्टेशन सीमा के अन्दर तथा स्टेशन सीमा के बाहर स्थित समपार फाटको की श्रेणी, स्थिति एवं संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारियों का विवरण नीचे दिया गया है ।

फाटक सं० एवं श्रेणी	स्थिति	सामान्य दशा	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	अन्तर्पाशित है या नहीं	संचार	गाड़ी चालित चेतावनी प्रणाली
परिचालन समपार फाटक						
115-सी	अप अग्रिम प्रस्थान सिग० तथा डाउन होम सिगनल के मध्य (LKU side)	सड़क यातायात के लिये खुला	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित	अरक्षित
इंजीनियरिंग समपार फाटक						
104-ए	हल्दी रोड - रूद्रपुर सिटी के मध्य किमी० सं० 53/7-8	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से चुम्बकीय दूरभाष द्वारा सम्बद्ध ।	नहीं
99-बी	हल्दी रोड - रूद्रपुर सिटी के मध्य किमी० सं० 52/1-2	सड़क यातायात के लिये खुला	कार्यरत फाटकवाला	है	स्टेशन मास्टर से चुम्बकीय दूरभाष द्वारा सम्बद्ध ।	नहीं

- ii) समपार फाटको के संचालन से सम्बन्धित विस्तृत अनुदेशों के लिये परिशिष्ट 'क', से 'क-1' देखें।

3. **संचालन की पद्धति एवं साधन :**

अगल-बगल के ब्लाक स्टेशनों लालकुआ जं० तथा रूद्रपुर सिटी से इकहरी लाइन पर "पूर्ण ब्लाक पद्धति" कार्य प्रणाली लागू है।

प्रदत्त ब्लाक यन्त्र के प्रकार	सहकारी/ असहकारी	संचालन के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	चाबियों के लिये उत्तरदायी कर्मचारी	टिप्पणी
दूरभाष युक्त नील का विद्युत ब्लाक टोकेन यन्त्र लालकुआ जं० तथा रूद्रपुर सिटी स्टेशनों के साथ अलग-अलग सम्बद्ध	सहकारी	कार्यरत स्टेशन मास्टर	कार्यरत स्टेशन मास्टर	-

(सहायक नियम 14.01(क), 14.02 से 14.04, से 14.06, 14.11, 14.12 एवं पूर्वोत्तर रेलवे की साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" देखें)

टिप्पणी : कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगा कि अन्य कोई नहीं अपितु वह स्वयं ही विद्युत ब्लाक यन्त्रों को संचालित करता है ।

(सहायक नियम 14.02(v)] साधारण नियम 14.03 तथा साधारण एवं सहायक नियम 14.04 देखें।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणों सहित संकेतन के प्रकार :

हल्दी रोड स्टेशन अन्तर्पाशन मानक I, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है। यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 एवं अप होम से डाउन होम सिगनल तक ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है। कांटो तथा सिगनलो का संचालन स्टेमा० कार्यालय में प्रदत्त सेन्ट्रल पैनल द्वारा किया जाता है। (पैनल के परिचालन के लिए परिशिष्ट 'ख' का पैरा 4 देखें)

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (रूद्रपुर सिटी से)

- अप डिस्टेन्ट सिगनल (अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेतों पर आधारित)
- जंकशन संकेतों रहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 2 के लिये मार्ग 'ए'
- जंकशन संकेतों सहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 1 के लिये मार्ग 'बी'
- जंकशन संकेतों सहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 3 के लिये मार्ग 'सी'

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (लालकुआ जं० को)

- अप प्रस्थान सिगनल संख्या 8 लाइन संख्या 3 से
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 लाइन संख्या 2 से
- अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लाइन संख्या 1 से
- अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 लालकुआ जं० स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(ग) डाउन आगमन सिगनल (लालकुआ जं० से)

- डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेतों पर आधारित)
- जंकशन संकेतों रहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 2 के लिये मार्ग 'ए'
- जंकशन संकेतों सहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 1 के लिये मार्ग 'बी'
- जंकशन संकेतों सहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 3 के लिये मार्ग 'सी'

(घ) डाउन प्रस्थान सिगनल (रूद्रपुर सिटी को)

- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 7 लाइन संख्या 3 से
- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 लाइन संख्या 2 से
- डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 लाइन संख्या 1 से
- डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 रूद्रपुर सिटी स्टेशन से सम्बद्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(ङ) डाउन शंट सिगनल (लालकुआ की ओर से)

- डाउन शंट सिगनल संख्या लालकुआ छोर से लाइन संख्या 1, 2 व 3 में आने के लिए

(च) अप शंट सिगनल (रूद्रपुर सिटी की ओर से)

- अप शंट सिगनल संख्या रूद्रपुरसिटी छोर से लाइन संख्या 1, 2 व 3 में आने के लिए

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1.(क) सभी कांटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, कांटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। कांटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु थम्ब स्विच प्रदत्त है। अप एवं डाउन छोरों के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल हैं।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

4. संकेतन एवं अन्तर्पाशन (Signalling & Interlocking) की पद्धति :

4.1 विशेष संकेतन के लक्षणो सहित संकेतन के प्रकार :

हल्दी रोड स्टेशन अन्तर्पाशन मानक I, बहु-संकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनलों वाला स्टेशन है। यहाँ परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3 एवं अप होम से डाउन होम सिगनल तक ट्रैक सर्किटिंग की व्यवस्था है।

प्रदत्त सिगनल :

(क) अप आगमन सिगनल (रुद्रपुर सिटी से)

- (i) अप डिस्टेन्ट सिगनल (अप होम सिगनल संख्या 10 के संकेतों पर आधारित)
- (ii) जंकशन संकेतों रहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 2 के लिये मार्ग 'ए'
- (iii) जंकशन संकेतों सहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 1 के लिये मार्ग 'बी'
- (iv) जंकशन संकेतों सहित अप होम सिगनल संख्या 10 लाइन संख्या 3 के लिये मार्ग 'सी'

(ख) अप प्रस्थान सिगनल (लालकुआ जं० को)

- (i) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 8 लाइन संख्या 3 से
- (ii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 4 लाइन संख्या 2 से
- (iii) अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 लाइन संख्या 1 से
- (iv) अप अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 2 लालकुआ जं० स्टेशन से सम्बन्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

(ग) डाउन आगमन सिगनल (लालकुआ जं० से)

- (i) डाउन डिस्टेन्ट सिगनल (डाउन होम सिगनल संख्या 1 के संकेतों पर आधारित)
- (ii) जंकशन संकेतों रहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 2 के लिये मार्ग 'ए'
- (iii) जंकशन संकेतों सहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 1 के लिये मार्ग 'बी'
- (iv) जंकशन संकेतों सहित डाउन होम सिगनल संख्या 1 लाइन संख्या 3 के लिये मार्ग 'सी'

(घ) डाउन प्रस्थान सिगनल (रुद्रपुर सिटी को)

- (i) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 7 लाइन संख्या 3 से
- (ii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 3 लाइन संख्या 2 से
- (iii) डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 लाइन संख्या 1 से
- (iv) डाउन अग्रिम प्रस्थान सिगनल संख्या 9 रुद्रपुर सिटी स्टेशन से सम्बन्ध टोकेन ब्लाक यन्त्र की टी०जी०टी० स्थिति द्वारा नियन्त्रित

पुनरावर्तक (रिपीटर) :- कोई नहीं।

4.1.(क) सभी काँटों एवं संकेतक एक केन्द्रीय स्थान से एक पैनल के माध्यम से परिचालित किये जाते हैं जिसे स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल कहते हैं। यार्ड का भौगोलिक अभिन्यास, काँटों एवं संकेतों सहित स्टेशन मास्टर पैनल पर दिया गया है। काँटों एवं संकेतकों के प्रचालन हेतु थम्ब स्विच प्रदत्त है। अप एवं डाउन छोरों के लिये पृथक-पृथक दो ग्रुप पुश बटन भी दिये गये हैं।

(ख) इस स्टेशन पर प्रदत्त सिगनल बहुसंकेती रंगीन बत्ती वाले सिगनल है।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

- (ग) दोनो ओर के निकट (होम) सिगनलों पर लूप लाइन के लिये एक पॉक्ति में पाँच सफेद बत्ती वाले जँक्शन संकेतक दिये गये है। जँक्शन संकेतक सीधी लाइन के लिये कोई प्रकाश प्रदर्शित नहीं करेगा। एक पॉक्ति में प्रदर्शित कम से कम तीन सफेद बत्तियाँ लूप मार्ग (डाइवर्जिंग रुट) इंगित करेगी।
- (घ) अग्रिम प्रस्थान सिगनल विद्युत यन्त्र की "ट्रेन गोइंग टू" दशा से नियन्त्रित है।
- (ङ) स्टेशन मास्टर, काँटों एवं सिगनलों पर स्टेशन मास्टर नियन्त्रण चाबी जो पैनल मुक्तक पाश (पैनल रिलीज लाक) को पाशित करती है, द्वारा नियन्त्रण रखता है। जब यह पाशित स्थिति में होता है, यह विद्युतीय रूप से काँटों एवं सिगनलों पर नियन्त्रण नियोजित कर देता है। जब तक यह चाबी लगाकर घुमायी न जाये, काँटों एवं संकेतकों के थम्ब स्विचों का प्रचालन अथवा ग्रुप बटनों का दबाया जाना कोई परिणाम नहीं देगा।
- (च) कार्यरत स्टेशन मास्टर आपातिक दशा में सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विच को मध्य स्थिति में करके तथा सम्बन्धित पुश बटन दबाकर सिगनलों को "आन" स्थिति में वापस कर सकता है। निरस्त करने पर जब काँटा थम्ब स्विच का पाश प्रकाश (लाक लाइट) अदृश्य हो जाय, मार्ग बदला जा सकता है।
- (छ) सम्बन्धित परिचालित लाइन के प्रस्थान सिगनल का 'पीला' संकेत दोनों दिशा में अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक शन्टिंग संचलन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है। इस उद्देश्य हेतु अग्रिम प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विच को 'आन' स्थिति में रखते हुये सम्बन्धित काँटों तथा प्रस्थान सिगनल थम्ब स्विचों को प्रचालित किया जाना चाहिये।
- (ज) स्टेशन पैनल के संचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" में उल्लिखित अनुदेशों को देखें।

- 4.1.1 **काँटा थम्ब स्विच संकेत :-** स्टेशन मास्टर के पैनल पर थम्ब स्विच के ऊपर काँटों के सामान्य अथवा विपरीत स्थिति में पूर्णतया सैट एवं लाक होने के संकेत क्रमशः 'एन' अथवा 'आर' के रूप में दिये गये जो क्रमशः सामान्य स्थिति में सूक्ष्म छोट सफेद प्रकाश तथा रिवर्स स्थिति में छोट हरा प्रकाश प्रकाशित होता है। ऐसे काँटों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में एक छोटा लाल प्रकाश जलने पर यह निर्देशित करेगा कि काँटे विद्युतीय रूप से लाक हो गये है। ऐसी स्थिति में थम्ब स्विच को काँटों को प्रचालित करने हेतु नहीं घुमाना चाहिए।
- 4.1.2 **रेल पथ परिपथ :-** परिचालित लाइन संख्या 1, 2 तथा 3, रेल पथ परिपथ युक्त है। स्टेशन मास्टर कार्यालय में पैनल पर सम्बन्धित लाइन के रेल पथ परिपथ भाग को अतिरिक्त मोटी रंगी रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया है। जब रेल पथ परिपथ भाग आक्यूपाइड/विफल होता है तब पैनल पर इस भाग पर सूक्ष्म लाल प्रकाश जलेगा। इन रेल पथ परिपथों का पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'ख' में दिया गया है। रेल पथ परिपथ की विफलता की स्थिति में इसे आक्यूपाइड मानकर स्टेशन मास्टर द्वारा रेल पथ परिपथ रिक्त होने का सुनिश्चय भौतिक सत्यापन द्वारा करना अनिवार्य है।
- 4.1.3 **स्टॉप प्लग :-** थम्ब स्विच रोक प्लग पैनल के प्लग स्टोरेज स्थान पर प्रदत्त है। जब कभी सिगनल और या काँटा थम्ब स्विचों के एक दिशा से दूसरी दिशा में प्रचलन को रोकना हो तो इन प्लगों को थम्ब स्विचों के पास प्रदत्त छेदों में लगा देना चाहिए। ये प्लग स्टेशन मास्टर के लिये अनुस्मारक का कार्य करेगी।
- 4.1.4 **ग्रुप पुश बटन :-** दो ग्रुप पुश बटन यार्ड के दोनों छोरों के लिये नामित है। काँटों और सिगनल स्विचों को वॉछित स्थिति में घुमाने के बाद इन ग्रुप बटन को दबाया जायेगा। तभी काँटों और सिगनलों का प्रचालन सम्भव हो पायेगा। सैट किये हुए मार्ग के निरस्तीकरण हेतु सिगनल थम्ब स्विचों को केन्द्रीय स्थिति में वापस कर देने एवं सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबाने पर मार्ग निरस्त हो जायेगा एवं काँटा थम्ब स्विच की लाक लाइट बुझ जायेगी। तत्पश्चात मार्ग बदला जा सकता है।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

4.1.5 स्थाई रूप से ताला बन्द कौंटों/पृथक्करण (आइसोलेशन) :

कांटा सं०	विवरण	संकेतक लगे हैं या नहीं	सेटिंग की सामान्य स्थिति	चाबी द्वारा नियंत्रित	मोटर चालित/यंत्र चालित	रेल पथ परिपथ युक्त है अथवा नहीं	पृथक्करण के साधन	टिप्पणी
101	इकहरा हस्त प्रवेशी कौंटा	नहीं	लाइन सं० 4 के विपरीत तथा लाइन सं० 3 के लिए सेट	“एस”	यंत्र चालित	नहीं	परिचालित लाइन सं० 3 को लाइन सं० 4 से पृथक् करता है। (रूद्रपुर सिटी छोर)	चाबी ‘एस’ ट्रेप कौंटा सं० 101X के दोहरे हस्त प्रवेशी ताले में पाशित रहती है।
101X	दोहरा हस्त प्रवेशी ट्रेप कौंटा	है	लाइन सं० 3 के विपरीत तथा लाइन सं० 4 पर ट्रेल स्थिति में खुला	“पी”	यंत्र चालित	नहीं	परिचालित लाइन सं० 3 को लाइन सं० 4 से पृथक् करता है।	चाबी ‘पी’ स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे ‘ई’ टाइप लाक में पाशित रहती है।
102	इकहरा हस्त प्रवेशी कौंटा	नहीं	लाइन सं० 4 के विपरीत तथा लाइन सं० 3 के लिए सेट	“एस-1”	यंत्र चालित	नहीं	परिचालित लाइन सं० 3 को लाइन सं० 4 से पृथक् करता है। (लालकुआ छोर)	चाबी ‘एस-1’ ट्रेप कौंटा सं० 102X के दोहरे हस्त प्रवेशी ताले में पाशित रहती है।
102X	दोहरा हस्त प्रवेशी ट्रेप कौंटा	है	लाइन सं० 3 के विपरीत तथा लाइन सं० 4 पर ट्रेल स्थिति में खुला	“क्यू”	यंत्र चालित	नहीं	परिचालित लाइन सं० 3 को लाइन सं० 4 से पृथक् करता है।	चाबी ‘क्यू’ स्टेशन मास्टर कार्यालय में लगे ‘ई’ टाइप लाक में पाशित रहती है।

(i) साइडिंग कांटों का संचालन :-

स्टेशन मास्टर कार्यालय में साइडिंग नियंत्रण चाबी ‘पी’ तथा ‘क्यू’ लीवर लाक कम सर्किट कन्ट्रोल एसेम्बली में प्रदत्त की गयी हैं। जब कौंटों को संचालित करना हो, तो एसेम्बली से इन चाबियों को निकाला जा सकता है। इन चाबियों के संचालन का विवरण परिशिष्ट ‘ख’ के पैरा 10 में देखें।

(ii) ट्रेप कौंटा संख्या 101X तथा 102X पर ट्रेप इंडिकेटर लगे हैं।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

4.1.6. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैक हैण्डल :**

- (क) काँटा संख्या- 21, 23 एवं, 22, 24, मोटर चालित काँटें है तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। काँटा संख्या 21 एवं 23 क्रैक हैण्डल 'जेड-1' से तथा काँटा संख्या 22 एवं 24 क्रैक हैण्डल 'जेड-2' से संचालित किया जाता है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते हैं। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैक हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इस दशा में काँटों की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। क्रैक हैण्डल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।
- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैक हैण्डल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैक हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैक हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैक हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

इस स्टेशन पर सिगनलो को प्रकाशित करने के लिए सामान्यतः एक IPS का प्रावधान है। जिसकी बैट्री Commercial Light/जनरेटर की सप्लाई से चार्ज होती है। केवल सिगनल लाइट की विफलता के समय जनरेटर स्टार्ट करके सिगनल प्रकाशित किये जा सकते हैं किन्तु अन्य परिस्थितियों में IPS विफल होने पर सम्पूर्ण पैनल विफल हो जायेगा। (विस्तृत विवरण परिशिष्ट ख का पैरा 13 में देखें)

5. **दूर संचार :-**

- इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- स्टेशन पर प्रदत्त वी०एस०एन०एल० फोन
- रुद्रपुर सिटी स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- लालकुआ ज० स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 99/बी (रुद्रपुर सिटी -हल्दी रोड) किमी० सं० 52/1-2 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 104/ए (रुद्रपुर सिटी -हल्दी रोड) किमी० सं० 53/6-7 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

4.1.6. **विद्युत चालित काँटा मशीन/ क्रैंक हैण्डल :**

- (क) काँटा संख्या- 21, 23 एवं, 22, 24, मोटर चालित काँटें है तथा प्रत्येक काँटें पर विद्युत काँटा मशीन लगी है। काँटा संख्या 21 एवं 23 क्रैंक हैण्डल 'जेड-1' से तथा काँटा संख्या 22 एवं 24 क्रैंक हैण्डल 'जेड-2' से संचालित किया जाता है। सामान्यतः ये काँटें स्टेशन मास्टर के नियन्त्रण पैनल से प्रचालित किये जाते है। विफलता की दशा में इन्हें स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त यन्त्र रचना से मुक्त कराये गये क्रैंक हैण्डल द्वारा प्रचालित किया जायेगा। इस दशा में काँटों की सही सेटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना स्टेशन मास्टर का उत्तरदायित्व है। क्रैंक हैण्डल के प्रचालन हेतु संकेतन परिशिष्ट "ख" तथा साधारण नियम 3.38(क) एवं (ख), 3.39 एवं सहायक नियम 3.39(ii) देखें।
- (ख) प्रत्येक समय जब विद्युतीय पाश संयोजन से क्रैंक हैण्डल द्वारा परिचालित काँटों के हाथ द्वारा प्रचालन हेतु मुक्त कराया जाता है तो इस सम्बन्ध में, इस उद्देश्य से बनायी गयी पंजिका में, कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा निम्नलिखित प्रारूप में प्रविष्टि अवश्य अंकित की जानी चाहिये।

क्रम संख्या	क्रैंक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी का नाम और पद	क्रैंक हैण्डल निकाले जाने की तिथि एवं समय	क्रैंक हैण्डल निकालने का उद्देश्य विफलता/परीक्षण	क्रैंक हैण्डल निकालने वाले कर्मचारी के हस्ताक्षर	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	क्रैंक हैण्डल वापस करने की तिथि एवं समय	स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4.2 **रिले रूम की चाबियों की सुरक्षा और स्टेशन मास्टर तथा सिगनल एवं दूर संचार विभाग के अनुरक्षण कर्मचारियों के बीच इन्हें लेने-द देने की कार्य पध्दधि :-**

इस स्टेशन पर रिले रूम में पूर्ण इन्टरलाकिंग की रिले स्थापित है। रिले रूम को दोहरे ताले से (स्टेशन मास्टर एवं एस०एण्ड टी०) द्वारा बन्द किया जाना चाहिए। इसको आवश्यकता पड़ने पर खोलने के लिये स्टेशन मास्टर कार्यालय में अनुरक्षित पंजिका पर एस०एण्ड टी० कर्मचारी द्वारा रिले रूम खोलने के उद्देश्य के साथ प्रविष्टि करने के पश्चात ही स्टेशन मास्टर को रिले रूम की चाबी सौंपनी चाहिए।

4.3 **विद्युत आपूर्ति (पावर सप्लाई)**

विद्युत विफलता की स्थिति में ट्रैक सर्किटिंग एवं अन्य काँटा तथा सिगनल संकेतों को प्रकाशित करने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्टेशन पर इंटिग्रेटेड पावर सप्लाई (आई०पी०एस०) की व्यवस्था की गयी है।

5. **दूर संचार :-**

- इज्जतनगर नियन्त्रण कार्यालय से सम्बन्ध कन्ट्रोल टेलीफोन
- स्टेशन पर प्रदत्त बी०एस०एन०एल० फोन
- रुद्रपुर सिटी स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- लालकुआ ज० स्टेशन के नील्स टोकेन उपकरण से सम्बन्ध साइड टेलीफोन
- इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 99/बी (रुद्रपुर सिटी -हल्दी रोड) किमी० सं० 52/1-2 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- इंजीनियरिंग समपार फाटक सं० 104/ए (रुद्रपुर सिटी -हल्दी रोड) किमी० सं० 53/6-7 से सम्बन्ध मैगनेटो टेलीफोन
- वी०एच०एफ० सैट

(संचार व्यवस्था में विफलता होने पर गाड़ी संचालन कार्य प्रणाली हेतु परिशिष्ट 'ख' का पैरा 11A देखें)

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 , 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन अभिप्रेत (इन्टेन्डेड) हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बल्लियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। इसका तात्पर्य है कि वाँछित लाइन साफ एवं बाधा रहित है।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें तथा काँटा थम्ब स्विच के नीचे दिये गये अप एवं डाउन ग्रुप बटनों को दबायें। जब काँटें जैसा वाँछित हो, सैट हो जायेंगे, काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटें किस स्थिति में सैट है।
- (घ) सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित पुश बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बल्ली जल उठेगी जो सूचित करेगी कि काँटें वाँछित दिशा में पाशित हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट प्रकाशित हो जायेगा।
- (ड.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है। सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस करे एवं काँटा थम्ब स्विच से अवरूद्ध लाइन के विपरित सैट करे तथा क्रासिंग की स्थिति में दोनों ओर के कांटों को तुरन्त ही अवरूद्ध लाइन के विपरित सैट करें। संचालन पूर्ण हो जाने के बाद कांटों को अपनी सामान्य स्थिति में वापस करें।
- (च) गाड़ी के द्वारा इन रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर रेल पथ अभिधारिता बल्ली (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, एवं काँटा वाला, के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-

दिन की पाली :

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता एवं बल्लियों के फ्यूज़ हो जाने की स्थिति में लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

(रितेश गुप्ता)
मण्डल सिगं एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

6. गाड़ी संचालन की प्रणाली :-

गाड़ियों का आगमन एवं प्रस्थान साधारण एवं सहायक नियम 3.37 से 3.40, 3.41(i)(ख) (2), 3.42, 8.03(2), 8.10, 8.12, एवं 8.13, 4.17 में उल्लिखित अनुदेशों के अनुसार गाड़ियों का आगमन तथा प्रस्थान होगा तथा आगमन एवं प्रस्थान सिगनल "आफ" किये जायेंगे।

(1) गाड़ियों का आगमन :

जब परिचालित लाइन संख्या 1 , 2 एवं 3 पर गाड़ियों का आगमन अभिप्रेत (इन्टेन्डेड) हो तो कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क). जाँचें कि वाँछित लाइन से सम्बन्धित रेल पथ परिपथ के लिये रेल पथ अभिधारिता (आक्यूपेन्सी) बलितियों में लाल प्रकाश तो नहीं जल रहा है। इसका तात्पर्य है कि वाँछित लाइन साफ एवं बाधा रहित है।
- (ख) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त ताले में लगायें और इसे ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल को प्रचालन योग्य बनायें।
- (ग) सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को सम्बन्धित लाइन हेतु वाँछित स्थिति में घुमायें तथा काँटा थम्ब स्विच के नीचे दिये गये अप एवं डाउन ग्रुप बटनों को दबायें। जब काँटें जैसा वाँछित हो, सेट हो जायेंगे, काँटा थम्ब स्विचों के ऊपर हरा/सफेद प्रकाश संकेत जल जाना चाहिये जो इंगित करेगा कि काँटें किस स्थिति में सेट है।
- (घ) सम्बन्धित सिगनल थम्ब स्विचों को वाँछित स्थिति में घुमायें तथा सम्बन्धित पुश बटन को भी दबायें। तब सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच के केन्द्र में लाल बत्ती जल उठेगी जो सूचित करेगी कि काँटें वाँछित दिशा में पाशित हो गये हैं। यह इंगित करने के लिये कि ये सिगनल "आफ" है, पैनल पर सिगनलों का आफ आस्पैक्ट प्रकाशित हो जायेगा।
- (ङ.) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी आ गयी है तथा काँटों एवं उल्लंघन चिन्हों को साफ कर दिया है, काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर दे।
- (च) गाड़ी के द्वारा इन रेल पथ परिपथों का अभिधारण होने पर रेल पथ अभिधारिता बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।

6.1 गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य :-

गाड़ी परिचालन कर्मचारी स्टेशन मास्टर, एवं काँटा वाला, के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'घ' में दिया गया है।

6.1.1 प्रत्येक पाली में गाड़ी संचालन कर्मचारी :-**दिन की पाली :**

स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

सौध्य/रात्रि पाली :

सहायक स्टेशन मास्टर	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार
काँटावाला	-	01	-	निर्धारित रोस्टर के अनुसार

6.1.2 लाइनों का क्लीयरेंस सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायित्व तथा उत्तरदायित्व के क्षेत्र :

कार्यरत स्टेशन मास्टर गाड़ी के आगमन/प्रस्थान के लिये परिचालित लाइन का साफ होना सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी है। रेल पथ परिपथ की विफलता एवं बल्बों के फ्यूज़ हो जाने की स्थिति में लाइनों का साफ एवं बाधा रहित होना कार्यरत स्टेशन मास्टर के भौतिक सत्यापन द्वारा किया जायेगा। (साधारण नियम 3.38(ग), 3.40(3) देखें)

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.1.3 आश्वासन पंजिका में कर्मचारियों का आश्वासन :-

वे सभी कर्मचारी जो किसी भी प्रकार गाड़ी संचालन से सम्बद्ध हो, अपना कार्यभार स्वतन्त्र रूप से ग्रहण करने के पूर्व तथा वे कर्मचारी जो किसी कारण से 15 या अधिक दिन गाड़ी संचालन से असम्बद्ध रहे हों, अपना कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आश्वासन पंजिका (एश्योरेन्स रजिस्टर) में अनुमोदित प्रारूप पर एक प्रमाण-पत्र आवश्यक रूप से देंगे ।

(विशेष रूप से सहायक नियम 5.01(19) और परिचालन नियमावली का पैरा-3003 देखें)

6.2 लाइन क्लीयर देने की शर्तें :

लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी तथा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जायेगा जब तक कि :

- (क) सम्पूर्ण, अन्तिम पूर्ववर्ती गाड़ी पूरी न आ गयी हो।
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे वाले होम तथा डिस्टेन्ट सिगनल "आन" स्थिति में वापस न कर दिये गये हो।
- (ग) लाइन, स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ न हो।
- (घ) अप गाड़ी के मामले में गेट संख्या 99/बी एवं 104/ ए के गेट मैनु को सम्बन्धित गेट परिशिष्ट में दिये गये गेट अनुदेश के अनुसार सूचित न कर दिया गया हो।

(साधा० एवं सहा० नियम 8.03(2)(क) (ख) (ग) तथा सहा० नियम 8.03 (i), (ii) (iii) (iv) (v) देखें)

6.2.1 स्टेशन पर गाड़ी के आगमन या प्रस्थान के समय पालन की जाने वाली अन्य विशेष शर्तें :-**6.2.1.1 ब्लाक लाइन के विरुद्ध कॉटों को अन्य लाइन के लिये सैट करना**

जब स्टेशन पर कोई चालू लाइन स्टैबुल्ड लोड अथवा क्रासिंग/प्रीसीडेंस के कारण अवरुद्ध हो, तो दोनों छोरों के कॉटों अवरुद्ध लाइन के विपरीत सैट किये जायें। (साधारण एवं सहायक नियम 5.19(1)(a)(ii)(b)(ii) (2)(5)(i) को देखें)

6.2.1.2 अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन

जब स्टेशन पर किसी अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी को प्राप्त करना हो, तो साधारण नियम 5.09(1)(a) (b)(c), (2)(c), (3)(a)(b) (i) तथा सहायक नियम 5.09(1), (a) (b)(c), के अनुसार कार्यवाही पूर्णरूपेण सुनिश्चित करें ।

6.2.1.3 बिना सिगनल वाली लाइन पर गाड़ी का आगमन :-

नान-रनिंग लाइन संख्या 4 पर साधारण एवं सहायक नियम 5.10 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी गाड़ी का आगमन कराया जा सकता है। सम्बन्धित कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत कॉटावाला का होगा।

6.2.1.4 बिना सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

नान-रनिंग लाइन संख्या 4 से साधारण एवं सहायक नियम 5.11 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किसी भी गाड़ी का प्रस्थान कराया जा सकता है। सम्बन्धित कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कार्यरत कॉटावाला का होगा।

6.2.1.5 कॉमन स्टार्टर सिगनल वाली लाइन से गाड़ी का प्रस्थान :-

इस स्टेशन पर कोई कामन स्टार्टर प्रदत्त नहीं है।

6.2.1.6 सामान्य एवं सहायक नियमों का सन्दर्भ देते हुए अन्य किसी भी परिस्थिति का उल्लेख किया जाना

कोई नहीं।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.3 आगमन सिगनलो को "आफ" करने की शर्तें :

- (क) परिचालित लाइन जिस पर गाड़ी का आगमन कराना है, साफ एवं बाधा रहित होनी चाहिये। इसका दृष्टिक संकेत स्टेशन मास्टर पैनल पर उपलब्ध है।
- (ख) गाड़ी संचालन को प्रभावित करने वाले सभी सम्मुख कॉटों अभिप्रेत लाइन के लिये सेट और पाशित है।
- (ग) लाइन, जिस पर गाड़ी लेनी है, सम्मुख कॉटों के आगे गाड़ी के सम्मुख पड़ने वाले अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक साफ हो।
- (घ) स्टेशन मास्टर नियन्त्रण पैनल पर सम्बन्धित क्लीयर संकेत उपलब्ध है।

6.3.1 "आफ" किये गये सिगनल को पुनः "आन" करने के लिये स्टेशन मास्टर का उत्तरदरायित्व :-

किसी गाड़ी के सम्पूर्ण आगमन के बाद सभी सम्बन्धित सिगनलों को उनकी सामान्य दशा में वापस कर दिया जाय। सहायक नियम 3.38(iv) देखें।

6.4 गाड़ियों का एक साथ आगमन / प्रस्थान, गाड़ियों की क्रॉसिंग तथा गाड़ियों को प्राथमिकता देना :-

- (क) इस स्टेशन पर गाड़ियों के एक साथ प्रवेश की अनुमति नहीं है।
- (ख) इस स्टेशन पर सवारी गाड़ी के ब्रेक यान को एक दूसरे के सम्मुख करके क्रॉसिंग की अनुमति है।
- (ग) गाड़ियों का एक साथ अप एवं डाउन दिशा में प्रस्थान कराया जा सकता है।

(साधारण नियम 5.01(14) देखें)

6.5 गाड़ियों का पूर्ण आगमन :-

- (क) स्टेशन से बिना रुके जाने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में कार्यरत स्टेशन मास्टर का यह कर्तव्य है कि गाड़ी के एलवी बोर्ड/फ्लैशर टेल लैम्प का स्वयं निरीक्षण करके सुनिश्चित करें कि गाड़ी पूरी आ गयी है/चली गयी है
- (ख) रुकने वाली गाड़ियों के सम्बन्ध में वह गार्ड से इस उद्देश्य हेतु काँटावाला कर्मचारी द्वारा भेजी गयी पूर्ण आगमन पुस्तिका के निर्धारित प्रपत्र टी/1410 पर पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। कार्यरत स्टेशन मास्टर तब तक लाइन बन्द नहीं करेगा जब तक वह उक्त पुस्तिका गार्ड के पूर्ण आगमन प्रमाण पत्र के साथ वापस नहीं प्राप्त कर लेता है एवं उल्लंघन चिन्ह साफ होने के बारे में सन्तुष्ट नहीं हो जाता है।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.17 देखें)

6.6 गाड़ियों का प्रस्थान :-

जब गाड़ियों का प्रस्थान कराना हो तब कार्यरत स्टेशन मास्टर को चाहिये कि :-

- (क) संलग्न अगले ब्लॉक स्टेशन से विद्युत ब्लॉक टोकन यन्त्र पर लाइन क्लीयर प्राप्त करें। डाउन गाड़ियों के मामले में गेट सं० 99/बी, 104/ए के गेट मैनों को सम्बन्धित गेट परिशिष्टि में दिये गये गेट अनुदेशों के अनुसार सूचित किया जाना सुनिश्चित करे।
- (ख) जाँचें कि अभिधारिता भाग के अतिरिक्त सम्बन्धित रेल पथ परिपथों के लिये रेल पथ अभिधारिता बलितियों में लाल प्रकाश नहीं जल रहा है।
- (ग) स्टेशन मास्टर पैनल नियन्त्रण चाबी पैनल पर प्रदत्त तालों में लगाये और ताला खोलने के लिये घुमायें तथा पैनल प्रचालन योग्य बनायें।
- (घ) गाड़ी के प्रस्थान हेतु मार्ग सेट करने के लिये सम्बन्धित काँटा थम्ब स्विच को वाँछित स्थिति में घुमायें।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

- (ङ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो, तब अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को वांछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित ग्रुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं, एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात “प्रस्थान प्राधिकार” ड्राइवर को दे। कार्यरत स्टेमा डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा रेल पथ परिपथो का अभिधारण होने पर सम्बन्धित रेल पथ परिपथो के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्ती (लाल) जल जायेगी और जब गाड़ी इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर गयी है, काँटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :- जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाये।
- (ख) जब कोई गाड़ी लुप लाइन संख्या-1 एवं 3 से बिना रुके सीधे जाय तब ड्राइवरों को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जाना चाहिये। होम सिगनल थम्ब स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनलों के सिगनल थम्ब स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत तभी धारण करेगा जब बर्थिंग ट्रेक इंजन आक्यूपाइड कर लेगा।
- (ग) किसी गाड़ी को बिना रुके सीधे जाने की अनुमति देने से पूर्व सम्बद्ध लाइनो पर शन्टिंग अवश्य ही बन्द कर दी जायेगी और इंजन से न जुड़े हुये अपृथक (नान-आइसोलेटेड) लाइनो पर खड़े हुये वाहनो को समुचित रूप से सुरक्षित कर दिया जाये। (साधारण एवं सहायक नियम 5.23 देखें)
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर को “आगे बढ़ो” संकेत स्टेशन भवन के सामने से स्वतः दिखाना चाहिये जो गाड़ी कू (चालक दल) को स्पष्ट दिखायी दे और एक स्टेशन कर्मचारी द्वारा दूसरी ओर (आफ साइड) से भी संचलन की चौकसी की जायेगी।
- (ङ) जब प्लेटफार्म रहित लाइन पर कोई यात्री गाड़ी खड़ी हो तो प्लेटफार्म लाइन से कोई भी गाड़ी बिना रुके सीधे नहीं जायेगी। (सहायक नियम 5.01(14)(iv) देखें)

6.8 विफलता के दौरान कार्य पद्धति :- काँटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पद्धति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख काँटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें। स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.71 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें। ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट ‘घ’ के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरूद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

- (ङ) जब मार्ग सेट एवं पाशित हो जाये एवं पैनल पर सम्बन्धित संकेत उपलब्ध हो, तब अग्रिम प्रस्थान सिगनल तथा प्रस्थान सिगनल के थम्ब स्विचों को वॉछित स्थिति में घुमायें और सम्बन्धित गुप बटन को दबायें। तब उस मार्ग पर जिसके लिये सिगनल दिये गये हैं, एक सफेद/पीला प्रकाश प्रकट होगा। अग्रिम प्रस्थान एवं प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत प्रदर्शित करेंगे जो पैनल पर इंगित होगा। इसके पश्चात “प्रस्थान प्राधिकार” ड्राइवर को दे दिया जाय। तत्पश्चात कार्यरत स्टेशन मास्टर डिपार्टिंग बेल बजाकर गाड़ी के गार्ड को गाड़ी चलाने के लिये प्राधिकृत करेगा।
- (च) गाड़ी के द्वारा रेल पथ परिपथो का अभिधारण होने पर सम्बन्धित रेल पथ परिपथो के लिये रेल पथ अभिधारिता बत्ती (लाल) जल जानी चाहिये और जब गाड़ी इन पर से गुजर कर इनको साफ कर दे तो बुझ जानी चाहिये।
- (छ) कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करने के बाद कि गाड़ी पूरी चली गयी है तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल को पार कर गयी है, कॉटों एवं सिगनल थम्ब स्विचों को सामान्य दशा में वापस कर देना चाहिये।

6.6.1 सतर्कता आदेश (T/409) जारी करना :-

जब कभी लाइन की मरम्मत अथवा किसी अन्य खराबी से विशेष रूप से सतर्क रहने की आवश्यकता हो तो उन किलोमीटरों जिनके बीच सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसी सतर्कता बरतने के कारण तथा गाड़ी जिस गति से चलेगी, उसका पूर्ण विवरण देते हुये एक सतर्कता आदेश सचेत रहने वाले स्थान से तुरन्त पहले पड़ने वाले स्टेशन अथवा अन्य स्टेशनों पर और उस ढंग से, जैसा कि विशेष अनुदेशों के अन्तर्गत निर्धारित है, ड्राइवर को तत्काल सुपुर्द कर देना होगा। (विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 4.09 देखें)

6.7. गाड़ियों का बिना रुके सीधे जाना (रन-थ्रू) :

- (क) गाड़ियों को परिचालित लाइन संख्या 1, 2 एवं 3 से साधारण नियम 4.11 एवं अन्य प्रभावी गति प्रतिबन्धों के आधीन बिना रुके सीधे जाने की अनुमति है। जब गाड़ी मुख्य लाइन संख्या 2 से होकर जाय तो बिना रुके सीधे जाने वाली गाड़ियों के लिये प्रस्थान प्राधिकार लाइन क्लीयर पिक अप उपस्कर पर ही दिया जाना चाहिये।
- (ख) जब कोई गाड़ी लूप लाइन संख्या-1 एवं 3 से बिना रुके सीधे जाय तब ड्राइवरो को प्रस्थान प्राधिकार स्टेशन भवन के सामने से ही दिया जाना चाहिये। होम सिगनल थम्ब स्विच के साथ-साथ अग्रिम प्रस्थान तथा प्रस्थान सिगनलों के सिगनल थम्ब स्विचों को भी प्रचालित कर देना चाहिये। तथापि प्रस्थान सिगनल “आफ” संकेत तभी धारण करेगा जब बर्थिंग ट्रेक इंजन आक्यूपाइड कर लेगा।

6.8 विफलता के दौरान कार्य पध्दति :-

कॉटों, एवं सिगनलों के विफल हो जाने की दशा में, साधारण एवं सहायक नियम 3.69(3), 3.70(1)(3), 3.68(1)(ग) सहायक नियम 3.39 (i)(ii) में उल्लिखित पध्दति का पालन करना आवश्यक है। कार्यरत स्टेशन मास्टर का व्यक्तिगत रूप से यह उत्तरदायित्व होगा कि सही मार्ग सेट होना एवं सम्मुख कॉटों को क्लैम्प तथा ताला बन्द होना सुनिश्चित कर लेने के बाद ही गाड़ी के ड्राइवर को खराब सिगनल को पार करने के लिये प्राधिकार जारी करें।

स्टेशन के सभी सिगनल कलर लाइट होने के कारण कार्यरत स्टेशन मास्टर यह सुनिश्चित करेगा कि सा० एवं सहा० नियम 3.49(2)(बी) के अनुपालन में उन्हे दिन एवं रात्रि में अनवरत जलाया जायेगा। यदि लाइन क्लीयर देते समय सिगनलों को प्रकाशित रखना सम्भव न हो सके तो लाइन क्लीयर देने से पूर्व कार्यरत स्टेशन मास्टर सा० एवं सहा० नियम 3.68 से 3.72 तक में वर्णित कार्यविधि का अनुपालन सुनिश्चित करें।

ब्लाक यन्त्र विफल हो जाने पर साधारण एवं सहायक नियम पुस्तिका के परिशिष्ट ‘घ’ के नियम 2 से 4 एवं 7 (i)(ii), तथा 8 से 14 के अन्तर्गत निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। अवरुद्ध लाइन पर गाड़ी का आगमन साधा० एवं सहायक नियम 5.09 के अनुसार किया जायेगा।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।

7. लाइन अवरुध्द होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है । किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुध्द हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुध्द की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

- 1 स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुध्द हो, उसका समुचित विवरण लाल स्याही से लिखेगा। तथा गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा।
- 2 उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
- 3 चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, चार्ज ग्रहण करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, चार्ज लेने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
- 4 जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुध्द हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।

7.1 स्टेबुल वाहनो / वैगनो / लोड का सिक्योरिंग:-

जब परिचालित/अपरिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुध्द की जाय तो, स्टेशन पर खड़े वाहनो के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है। वाहन/वाहनो/लोड को दोनों छोरों पर कम से कम एक-एक सेफ्टी चेन से बॉध दिया जाये तथा दोनों छोरों पर लकड़ी के दो-दो गुटके भी लगाये जाये।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

6.9 ट्रालियों / मोटर ट्रालियों / सामग्री लारियों की कार्य प्रणाली :-

- (क) मोटर ट्राली को गाड़ियों के संचालन के लागू पूर्ण ब्लाक पध्दति के अन्तर्गत ब्लाक प्रोटेक्शन पर ही संचालित किया जायेगा ।
- (ख) दिन के समय जब मौसम साफ हो तो मोटर ट्राली को पूर्णतया वैक्यूम युक्त गाड़ी की या उसी ब्लाक खण्ड पर किसी दूसरी मोटर ट्राली का अनुसरण करने की अनुमति दी जा सकती है । इस मामले में मोटर ट्राली को एक निर्धारित प्रपत्र टी-1525 पर अनुज्ञा पत्र (PERMIT) जारी किया जाये ।
- (ग) जब मोटर ट्राली लाइन क्लीयर पर जा रही हो तो आगमन सिगनलो को 'आफ' स्थिति मे कर दिया जायेगा गाड़ी के पीछे आने वाली मोटर ट्राली के मामले में आगमन सिगनलो को 'आफ' करने की आवश्यकता नहीं है साधारण एवं सहायक नियम 15.18 से 15.28 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

7. लाइन अवरुद्ध होना :-

साधारणतया परिचालित लाइन में वाहनों को रखे जाने की अनुमति नहीं है। किन्तु यदि कोई परिचालित लाइन वाहन अथवा वाहनों से अवरुद्ध हो अथवा अनुरक्षण कारणों से अवरुद्ध की जाय तो कार्यरत स्टेशन मास्टर निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित करेगा :-

1. स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन अवरुद्ध हो, उसका समुचित विवरण लिखेगा।
 2. उस लाइन से सम्बन्धित काँटें विपरीत सैट करेगा ।
 3. चार्ज सौंपने वाला स्टेशन मास्टर, कार्यमुक्त करने वाले स्टेशन मास्टर को व्यक्तिगत रूप से बताने के साथ-साथ प्रत्येक लाइन की वास्तविक स्थिति का विवरण स्टेशन डायरी में लिखेगा। जब तक स्टेशन डायरी में ऐसा लिख नहीं दिया जाता है, कार्यपर आने वाला स्टेशन मास्टर चार्ज लेने के प्रमाण स्वरूप अपना हस्ताक्षर स्टेशन डायरी में नहीं करेगा।
 4. जब परिचालित लाइन साफ हो जाय तो स्टेशन मास्टर, स्टेशन डायरी एवं गाड़ी सिगनल रजिस्टर में तिथि, समय और जो लाइन से अवरुद्ध हटा दिया गया है, उसका समुचित विवरण लिखेगा। विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 5.19 को देखे।
जब परिचालित लाइन वाहन/वाहनो से अवरुद्ध की जाय तों, स्टेशन पर खाड़े वाहनो (Stabled Load) के सम्बन्ध में स्टेशन मास्टर देखेगा कि वाहनो को सहायक नियम 5.23 में दिये अनुदेशो के अनुसार ठीक ढंग से सुरक्षित कर दिया गया है।
- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेकों में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खाडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खड़ा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

- (i). सभी वाहनो के साथ प्रदत्त ब्रेको को उनके साथ अवश्य लगाया जायेगा। रेक में वाहनो को अवश्य जोड़ा जाय। जब परिचालित लाइन पर रेक खड़ा हो, तो हर रेक में वाहनो का अन्तिम छोर सुरक्षित किया जायेगा और कम से कम प्रति 15 वाहनो के बीच में संरक्षा जंजीर और पैड लाक का प्रयोग किया जायेगा। जहाँ ब्रेक वान है, ब्रेको को दृढतापूर्वक कसा जायेगा और माल वाहनो के मामले में सभी ब्रेक लीवर नीचे कर दिये जायेगें। विशेषतः तूफानी मौसम में जब रेक लम्बा हो, तब अतिरिक्त जंजीरो का पूर्ण मात्रा में प्रयोग अवश्य किया जायेगा। वाहन अकेला होने पर उसके ब्रेक को लगाने के अतिरिक्त उसे संरक्षा जंजीर से जकड़ देना चाहिये।
- (ii) नये प्रकार के बोगी रेको में रोलर बियरिंग लगे हुये है और वे समतल पर भी लुढ़क सकते है। ये स्टाक खडा करके भी, 400 में 1 की ढलान पर इनके लुढ़कने का वैसे ही खतरा बना रहता है जैसे कि साधारण चार पहिये वाले डिब्बो के 133 में 1 की ढलान पर लुढ़कने का खतरा रहता है। इन वैगनो को साइडिंग में अथवा परिचालित लाइनो पर खडा करते समय इनको सुरक्षित करने का विशेष ध्यान रखा जायेगा। **वाहन/वाहनो/लोड का सिक्कोरिंग नियमानुरूप कर दिया गया है कि पुष्टि में गाड़ी नियन्त्रक से प्राइवेट नम्बर आदान-प्रदान करके टी०एस०आर० तथा सिक्कोरिंग हेतु अनुरक्षित पंजिका में समय, तिथि एवं विवरण के साथ लाल स्याही से प्रविष्टि करेगा।**

टिप्पणी : 1 BOX, BOBS, BOI, BRH तथा नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक है। स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-

- (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित **(आपरेट)** किये जाने चाहिये।

साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग: शन्टिंग सम्बन्धी नियमों हेतु सा० एवं सहा०नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।

(ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :** निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
 iv) चालक को शन्टिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं एडवांस को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है।
 (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटो से बाहर एडवांस सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
 i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों।
 iii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।

(रितेश गुप्ता)

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

टिप्पणी :

1. बी0ओ0एक्स0, बी0ओ0बी0एस0, बी0ओ0आई0, बी0आर0एच0 तथा कुछ नये कोचिंग वाहन रोलर बियरिंग लगे स्टाक के उदाहरण है। जब स्टेशन पर ऐसे रोलर बियरिंग लगे हुये स्टाक खड़े (स्टेबल) हो तो, निम्नलिखित सावधानियों बरतनी आवश्यक है :-
 - (क) कम से कम दो संरक्षा जंजीरे प्रयोग की जाय और ताला लगाया जाय।
 - (ख) हाथ से लगने वाले ब्रेक, चाहे साइड से परिचालित होने वाले हो अथवा छोर से परिचालित होने वाले हो, उन्हें पूरी तरह अवश्य कसा जाय।
 - (ग) प्रत्येक छोर के कम से कम छः वैगनो के ब्रेक अवश्य कसे होने चाहिये।
 - (घ) गार्ड अथवा सहायक स्टेशन मास्टर के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में स्टेशन कर्मचारियों जैसे पोर्टर अथवा कॉटेवाला द्वारा ब्रेक परिचालित (आपरेट) किये जाने चाहिये।
- साधारण एवं सहायक 5.23 में निहित अनुदेशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

8. शन्टिंग :

शन्टिंग सम्बन्धी नियमों के सन्दर्भ हेतु साधारण एवं सहायक नियम 8.09, 8.10, 8.13, 8.14 एवं 8.15 देखें।

8.1. ब्लाक खण्ड साफ होने पर शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने से पूर्व)

- (क) प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों का पालन करते हुये शन्टिंग की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - ii) सम्बन्धित होम तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल 'आन' की दशा में हों।
 - iii) जिस ब्लाक खण्ड में शन्टिंग की जानी है, वह आने वाली गाड़ी से खाली हो।
 - iv) चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं होम सिगनल तक शन्टिंग करने हेतु लिखित अनुमति दी जाय।
- (ख) **प्रथम रोक सिगनल (होम) के बाहर शन्टिंग :**

निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
- ii) सम्बन्धित सिगनल 'आन' की दशा में हों।
- iii) सम्बन्धित ब्लाक खण्ड को ब्लाक बैक कर दिया गया हो, तथा
- iv) चालक को शन्टिंग आदेश टी-806 देने के साथ-साथ टोकन भी दिया जाना चाहिये।

8.2. आती हुयी गाड़ी की दिशा में शन्टिंग : (आगमन अनुमति देने के बाद)

- (क) सम्बन्धित होम एवं अग्रिम प्रस्थान संकेतकों को "आन" स्थिति में रखते हुये बाह्यतम सम्मुख कॉटो तक शन्टिंग की अनुमति है।
- (ख) बाह्यतम सम्मुख कॉटों से बाहर अग्रिम प्रस्थान सिगनल तक निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करते हुये शन्टिंग करने की अनुमति है :-
 - i) स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो।
 - ii) होम सिगनल की दृश्यता बाधित न हों।
 - iii) सम्बन्धित होम सिगनल एवं अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में हो, तथा
 - iv) गाड़ी आने के अनुमानित समय से 10 मिनट पूर्व ऐसी शन्टिंग बन्द कर दी जाय।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने की लिखित अनुमति दी जाय।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

- शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
- गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.6. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.1 के अनुसार कार्यवाही करें।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :

(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

- ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- (क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

8.3. जाती हुयी गाड़ी के पीछे शन्टिंग :

प्रथम रोक सिगनल (होम) तक निम्नलिखित शर्तों के साथ शन्टिंग की अनुमति है :-

- जाती हुयी गाड़ी होम सिगनल (विपरीत दिशा) को पार कर गयी हो तथा उसकी यात्रा जारी हो ।
- सभी सम्बन्धित सिगनल "आन" स्थिति में हों ।
- स्टेशन मास्टर द्वारा नियुक्त कर्मचारी शन्टिंग का प्रभारी हो ।
- चालक को अग्रिम प्रस्थान सिगनल "आन" स्थिति में पार करने एवं परिस्थितियों से अवगत कराते हुये होम तक शन्टिंग करने हेतु ब्लाक बैक करके लिखित अनुमति दी जाय ।

8.4.1. शन्टिंग पर प्रतिबन्ध :

आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'आफ' किये जाने के बाद शन्टिंग की अनुमति नहीं है। साधारण नियम 8.10 (2) देखें ।

8.4.2. शन्टिंग का कोई विशेष पहलू :

शंटिंग के दौरान सम्बन्धित गाड़ी के गार्ड का निम्नलिखित उत्तरदायित्व होगा :-

- शंटिंग कार्य का सामान्य पर्यवेक्षण
- सही-सही बैगनों / वाहनों को जुड़वाना एवं कटवाना तथा सही मार्शलिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग समाप्त होने के पश्चात बैगनों / वाहनों के कपलिंग की जाँच करना
- गाड़ी के उस हिस्से के साथ-साथ रहना जिसकी शंटिंग की जा रही है एवं चालक को आगे बढ़ने का संकेत देने से पूर्व कॉटों की सही सैटिंग एवं लाकिंग सुनिश्चित करना
- शंटिंग के दौरान हाथ संकेत दिखना

(सहायक नियम 5.14 (1) एवं 3.39 (ii))

8.6. स्टेशन यार्ड/मालगोदाम से निकलने वाली साइडिंग में शन्टिंग :

परिशिष्ट 'ख' के पैरा 10.1 के अनुसार कार्यवाही करें।

9. असामान्य परिस्थितियाँ :**(क) असामान्य कार्य संचालन के दौरान गाड़ियों के संचालन हेतु पालन की जाने वाली प्रक्रिया :**

ट्रेन सिगनलिंग उपकरणों के विफल हो जाने पर लाइन क्लीयर संदेश ब्लाक टेलीफोन/कन्ट्रोल टेलीफोन /अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट द्वारा ही दिया जाना चाहिये ।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 14.13 तथा 14.25 तथा साधारण एवं सहायक नियम पुस्तक का परिशिष्ट "घ" भी देखें)

टिप्पणी :

- ब्लाक टेलीफोन यन्त्र अथवा अथवा बी०एस०एन०एल०फोन अथवा वी०एच०एफ०सैट से लाइन क्लीयर संदेश भेजते समय दूसरे छोर के स्टेशन का वास्तविक नाम सुनिश्चित करने के लिये विशेष सावधानी बरतनी आवश्यक है, क्योंकि टेलीफोन के किसी अन्य स्टेशन से सम्पर्क स्थापित हो जाने की सम्भावना रहती है ।
- (क) नियन्त्रक के माध्यम से अथवा बी०एस०एन०एल०फोन से लाइन क्लीयर मॉगने वाला स्टेशन मास्टर तब यह सुनिश्चित करने के लिये कि सही स्टेशन मास्टर बोल रहा है, अपने स्टेशन, जहाँ से लाइन क्लीयर मॉगा जा रहा है, पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय बतायेगा। उसी प्रकार दूसरे सिरे वाला स्टेशन मास्टर भी अपने स्टेशन पर आने और/या जाने वाली दो पूर्ववर्ती गाड़ियों के आगमन और/या प्रस्थान का समय लाइन क्लीयर मॉगने वाले स्टेशन मास्टर को बतायेगा ।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

2(ख) वी०एच०एफ०सैट के द्वारा लाइन क्लीयर लेते एवं देते समय निम्न लिखित निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा :-

- (i) वी०एच०एफ०सैट द्वारा लाइन क्लीयर मॉगने/ देने वाला स्टेशन मास्टर अन्तिम आने वाली तीन गाड़ियों के लाइन क्लीयर प्राप्त करने एवं ब्लाक खण्ड में प्रवेश करने तथा खाली करने के समय तथा प्राइवेट नम्बर को बतायेगें।
 - (ii) लाइन क्लीयर तभी लिया /दिया जाय जब वी०एच०एफ०सैट की आवाज स्पष्ट हो। यदि आवाज स्पष्ट नहीं है, अथवा इन्डक्शन या डिस्टरबैस है, तो इसका प्रयोग न किया जाय।
 - (iii) जब वी०एच०एफ०सैट पर लाइन क्लीयर लेने/देने में कोई सन्देह हो तो इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सस्टेमा० संरक्षित कार्यवाही नियमानुसार करने के लिये उत्तरदायी है।
 - (iv) वी०एच०एफ०सैट पर केवल तीन गाड़ियों का लाइन क्लीयर लिया/दिया जा सकता है। तत्पश्चात खण्ड के यातायात निरीक्षक या सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर या निकट के सुपरवाइज़री स्टेशन मास्टर की उपस्थिति में ही लाइन क्लीयर लिया / दिया जाय।
- 2.(ग) लाइन या किसी गाड़ी की दुर्घटना, असामान्य घटना या संचार साधनों की विफलता या व्यवधान की दशा में या किसी आपात स्थिति में स्टेशन के मध्य गाड़ियों का संचालन विशेष निर्देशानुसार होगा।

(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 6.01 से 6.11 देखें)

3. जब कभी किसी मोटर आपरेटेड पर सम्मुख या अनुमुख दिशा में कोई सिगनल रहित संचलन हुआ हो, तो उक्त काँटों के उपयुक्त संचलन की जाँच हेतु कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर उक्त काँटों को सेट करने की सामान्य एवं विपरीत दिशाओं के सम्बन्ध में ठीक संकेत मिल रहा है, केवल तभी उन काँटों पर अगले संचलन की अनुमति देगा। ऐसे परीक्षणों का अभिलेख कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा स्टेशन डायरी में अंकित किया जाना चाहिये।

(ख) क्रेन्क हैण्डल द्वारा काँटों के आकस्मिक परिचालन के लिये कार्य विधि :-

संचालन नियम के पैरा 4.1.6 तथा परिशिष्ट 'ख' के पैरा 9 के अनुसार कार्य किया जायेगा।

(ग) कॉलिंग 'आन' सिगनल परिचालन से पूर्व रेल पथ के क्लीयरेंस का प्रमाण :-

इस स्टेशन पर कॉलिंग आन सिगनल का प्रावधान नहीं है।

(घ) काँटों, ट्रैक सर्किट/एक्सिल काउन्टर और अन्तर्पाशन के खराब हो जाने पर रिपोर्ट करना :

संकेतन परिशिष्ट "ख" का पैरा 12 को देखें।

9.1 संचार साधनों की पूर्ण विफलता :

1. संचार साधनों की पूर्ण विफलता का अर्थ है :-

साधारण और सहायक नियम पुस्तक के परिशिष्ट 'ख' में दिये गये निम्नलिखित संचार साधनों में से किसी के द्वारा दूसरे छोर पर स्थित ब्लाक स्टेशन से सम्पर्क स्थापित करने में असफलता जैसे -

- (क) ब्लाक उपकरण, ट्रैक सर्किट या एक्सिल काउन्टर।
- (ख) ब्लाक उपकरणों से जुड़े टेलीफोन,
- (ग) एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जुड़े स्थिर फोन, यदि उपलब्ध हैं।
- (घ) स्थिर टेलीफोन जैसे रेलवे ऑटोफोन एवं बी०एस०एन०एल०फोन
- (ङ) नियन्त्रण दूरभाष ,
- (च) वी० एच० एफ० सेट

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा/इज्जतनगर

2. इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूरी तरह अवरुद्ध हो जाने पर गाड़ी संचालन :

किसी ब्लाक खण्ड में गाड़ी को सीधे भेजने से पहले निम्न के द्वारा संचार खोलना चाहिये :-

- (क) खाली इंजन (लाइट इंजन) द्वारा।
- (ख) गाड़ी के इंजन द्वारा।
- (ग) मोटर ट्राली के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।
- (घ) ट्राली, के साथ गार्ड या स्टेशन मास्टर।

टिप्पणी :- संचार खोलने के लिये पूरी गाड़ी नहीं भेजनी चाहिये।

3 संचार खोलने के लिये निम्न प्रक्रिया अपनायी जायेगी -

क्रम	प्रेषण छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर	प्राप्त छोर पर तैनात स्टेशन मास्टर
1.	संचार खोलने के लिये जा रहे इंजन के चालक या ट्राली के प्रभारी को निर्धारित प्रपत्र टी/ बी 602 'इकहरी लाइन पर संचार साधनों के पूर्णतः बाधित होने पर संचार साधन चालू करने के लिये प्राधिकार' सौंपा जायेगा जिसमें निम्नलिखित समावेशित होगा	निर्धारित सीटी कोड को सुनने पर या आगमन सिगनल को "टेक आफ" करने की सूचना मिलने पर आगमन सिगनलों को 'टेक आफ' करेगा या लिखित प्राधिकार टी-369(3बी) भेजकर वाहन को पायलट करते हुए अन्दर आने देगा। अन्दर आने पर चालक/प्रभारी से टी/बी 602 और टी/ई602 प्राप्त करेगा।
(क)	लाइन क्लीयर के बिना प्रस्थान प्राधिकार	
(ख)	सतर्कता आदेश जिसमें वह गति अंकित होगी जिस पर प्रभावित ब्लाक खण्ड में इंजन या स्वनोदित वाहन चल सकता है।	
(ग)	अन्तिम रोक सिगनल को "आन" स्थिति में पार करने का प्राधिकार।	
(घ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम लाइन क्लीयर इनक्वायरी संदेश जिसमें प्रतीक्षारत गाड़ी के लिये लाइन क्लीयर के लिये कहा जायेगा।	
(ङ)	प्रभावित ब्लाक खण्ड के दूसरी ओर के ब्लाक स्टेशन के स्टेशन मास्टर के नाम सशर्त लाइन क्लीयर संदेश जिसमें इंजन के खाली या किस गाड़ी के साथ या मोटर ट्राली के अकेले चलकर या गाड़ी में लादकर वापस आने के लिये अनुमति दी गयी हो।	

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

2.	यदि प्रेशक स्टेशन की ओर से गाड़ियों का फूलो अधिक हो तो प्रतीक्षरत गाड़ी के पीछे जाने वाली गाड़ियों का लाइन क्लीयर पूछताछ संदेश भी प्राधिकार टी / ई 602 पर भर कर भेजा जायेगा ।	2.इंजन या स्वनोदित वाहन को लौटने के लिये दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीयर टिकट' टी/जी 602 या टी/एच 602 दूसरे स्टेशन पर प्रतीक्षरत गाड़ी/गाड़ियों के लिए 'सशर्त लाइन क्लीअर संदेश' प्राधिकार टी/एफ 602, अपने स्टेशन से जाने वाली गाड़ियों के लिए लाइन क्लीअर इन्क्वायरी संदेश टी/ई 602 तथा अपने स्टेशन के अंतिम रोक सिगनल को पार करने के लिए टी 369 (3बी) एवं खण्ड में प्रभावी सतर्कता आदेश टी 409 पर लिखकर चालक/प्रभारी को सौंपे जायेंगे।
----	---	--

टिप्पणी :

- (क) संचार खेलने के लिये इंजन/स्वनोदित वाहन भेजने के पश्चात उसके भेजने के समय से उसके लौटने के समय तक, सबसे बाहर के सम्मुख काँटों के आगे लाइन को अवरुद्ध नहीं किया जायेगा।
- (ख) एक ही दिशा में 30 मिनट के अन्तराल में एक दूसरे के पीछे एक से अधिक गाड़ियों चल सकती है यदि इस मामले में बाद वाली सभी गाड़ियों के लिये अग्रिम लाइन क्लीयर प्राप्त कर लिया गया हो। सभी गाड़ियों के चालकों को दिशा के अनुसार 'सशर्त लाइन क्लीअर टिकट' प्राधिकार टी/जी 602 या टी/एच 602 सौंपा जायेगा। इस प्राधिकार पर आगे जाने वाली गाड़ी और पीछे जाने वाली गाड़ियों का विवरण प्रास्थान समय के साथ अंकित किया जायेगा।

जब कोई गाड़ी पीछा कर रही हो तो उसका चालक कड़ी निगरानी रखेगा, जब दृश्यता साफ हो तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा और जब दृश्यता साफ न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा या इससे कम गति से आगे बढ़ेगा।

4. सामान्य कार्य संचालन पुनः चालू करने के लिये सावधानियों :

- (क) किसी भी संचार साधन के फिर से चालू हो जाने पर प्राधिकार टी/आई 602 पर संचार साधन चालू होने के संदेश का आदान प्रदान किया जायेगा।
- (ख) किसी भी तरह से संचार साधन फिर से चालू हो जाने पर यह सुनिश्चित किया जाय कि सामान्य काम-काज शुरु होने से पहले बिना लाइन क्लीयर आगे बढ़ने का प्राधिकार ले चुकी या सशर्त लाइन क्लीअर टिकट ले चुकी गाड़ी खण्ड पर न हों। ऐसे सशर्त लाइन क्लीअर संदेश जो जारी किये जा चुके हों परन्तु उनके आधार पर गाड़ियां संचालित न हुई हों को रद्द कर दिया जाना चाहिए।

9.2. दोहरी लाइन पर अस्थायी रूप से इकहरी लाइन का संचालन : कुछ नहीं।**9.3. बिना लाइन क्लीयर के प्रस्थान प्राधिकार पर या दुर्घटनाग्रस्त गाड़ियों की सहायतार्थ गाड़ियों का प्रस्थान :**

अवरोध की सही स्थिति सुनिश्चित करने के बाद प्रेशक स्टेशन का स्टेशन मास्टर आक्यूपाइड ब्लाक सेक्शन में राहत इंजन/गाड़ी ले जाने के लिए प्राधिकार टी/ए 602 के निर्धारित फार्म पर चालक को सौंपेगा। विशेष रूप से सहायक नियम 6.02, 6.08 (i) (ii) (iii), 6.09 (ii) (iii) (1) (2) (3) देखें।

(जे०पी०शर्मा)

मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम सं० इज्जत/56

हल्दी रोड

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) स्टेशन पर उपलब्ध आई०पी०एस० (इन्टिग्रेटेड पावर सप्लाई) द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) आई०पी०एस० की बैट्री के वोल्टेज के सम्बन्ध में एल०ई०डी० इंडिकेशन पैनल स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है।
- (ग) इस स्टेशन पर एक जनरेटर सैट प्रदत्त है। जनरेटर कक्ष में एक चेन्ज ओवर स्विच लगा है जो सामान्य स्थिति में कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ रहता है। आई० पी०एस० चार्ज करने के लिये चेन्ज ओवर स्विच को जनरेटर की तरफ कर देने के बाद सेल्फ द्वारा जनरेटर चलाने के लिये जनरेटर को डी-क्लच अवश्य किया जाय जिससे सेल्फ की बैट्री अधिक डिस्चार्ज न हो।
- (घ) जब कमर्शियल पावर सप्लाई पुनः उपलब्ध हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे तथा चेन्ज ओवर स्विच को कमर्शियल पावर सप्लाई की ओर कर देंगे। जनरेटर के रुक जाने पर मुख्य आपूर्ति स्वतः पद्धति को पोषित करने लगेगी।
- (ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घन्टे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (च) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (छ) स्टेमा/सस्टेमा प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचालन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लागू बुक में करेंगे। स्टेमा/सस्टेमा निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।
(आई०पी०एस० सिस्टम की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश परिशिष्ट "ख" का पैरा 13 (क) एवं (ख) देखें)

प्रारूप

1. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम संख्या	तिथि	आई० पी० एस० की चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी	
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे		

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **अप छोर** : दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देती हो।
- (ख) **डाउन छोर** : दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 का प्रकाश जैसा कि कार्यरत स्टेमा० को 180 मीटर की दूरी से दिखायी देती हो।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

(रितेश गुप्ता)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(जे०एस०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०/इज्जतनगर

9.4 विद्युत शक्ति (पावर) की आपूर्ति व्यवस्था और सिगनलों को प्रकाशित करने के अनुदेश :

- (क) स्टेशन पर उपलब्ध आई०पी०एस० (इन्टिग्रेटेड पावर सप्लाई) द्वारा रंगीन बत्ती वाले सिगनल प्रकाशित होते हैं।
- (ख) आई०पी०एस० की बैट्री के वोल्टेज के सम्बन्ध में एल०ई०डी० इंडिकेशन पैनल स्टेशन मास्टर कार्यालय में प्रदत्त है।
- (ग) इस स्टेशन पर एक जनरेटर सैट प्रदत्त है। जनरेटर कक्ष में एक चेन्ज ओवर स्विच लगा है जो सामान्य स्थिति में कमर्शियल पावर सप्लाई की तरफ रहता है। आई० पी०एस० चार्ज करने के लिये चेन्ज ओवर स्विच को जनरेटर की तरफ कर देने के बाद सेल्फ द्वारा जनरेटर चलाने के लिये जनरेटर को डी-क्लच अवश्य किया जाय जिससे सेल्फ की बैट्री अधिक डिस्चार्ज न हो।
- (घ) जब कमर्शियल पावर सप्लाई पुनः उपलब्ध हो जाती है, कार्यरत स्टेशन मास्टर डीजल जनरेटर को रुकवा देंगे तथा चेन्ज ओवर स्विच को कमर्शियल पावर सप्लाई की ओर कर दे। जनरेटर के रुक जाने पर मुख्य आपूर्ति स्वतः पद्धति को पोषित करने लगेगी।
- (ङ) डीजल जनरेटर को आवश्यकता से अधिक गर्म होने से बचाने के लिये उसे एक बार में 4 घन्टे से अधिक नहीं चलाना चाहिये। कार्यरत स्टेशन मास्टर का समय पर चौकसी रखने का उत्तरदायित्व है।
- (च) इस उद्देश्य के लिये स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर एक पंजिका रखेंगे जिसमें व्यवसायिक विद्युत आपूर्ति की विफलता और पुनः आपूर्ति का समय तथा डीजल जनरेटर के चलने के घंटों के मीटर की रीडिंग स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर द्वारा अंकित की जायेगी।
- (छ) स्टेमा/सस्टेमा प्रतिदिन 8.00 बजे डीजल जनरेटर को 10 मिनट चलाकर उसके संचलन सम्बन्धित परीक्षण का उल्लेख लाग बुक में करेंगे। स्टेमा/सस्टेमा निम्न प्रारूप पर डीजल तेल उपयोग का विवरण डीजल तेल पंजिका में जनरेटर चलने के घंटों के साथ ही साथ रखेंगे।
(आई०पी०एस० सिस्टम की कार्य प्रणाली तथा विफलता के समय कार्य संचालन हेतु विस्तृत निर्देश परिशिष्ट “ख” का पैरा 13 (क) एवं (ख) देखें)

प्रारूप

2. व्यवसायिक विद्युत विफलता एवं जनरेटर प्रचालन :

क्रम संख्या	तिथि	आई० पी० एस० की चार्जिंग समय	व्यवसायिक विद्युत विफलता			जनरेटर रनिंग				टिप्पणी
			विफलता का समय	आपूर्ति का समय	कुल समय	स्टार्ट करने का समय	बन्द करने का समय	कुल समय	मीटर रीडिंग के घंटे	

2. डीजल का उपयोग :

क्रम संख्या	दिनांक	कितना डीजल प्राप्त हुआ	जनरेटर का कुल रनिंग समय	डीजल तेल की कुल खपत	शेष डीजल तेल	टिप्पणी

10. दृश्यता परीक्षण लक्ष्य :

- (क) **अप छोर** : दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के अप प्रस्थान सिगनल संख्या 6 का प्रकाश जैसा कि सस्टेमा० कार्यालय के सामने से दिखायी देती हो।
- (ख) **डाउन छोर** : दिन एवं रात्रि में लाइन सं० 1 के डाउन प्रस्थान सिगनल संख्या 5 का प्रकाश जैसा कि सस्टेमा० कार्यालय के सामने से दिखायी देती हो।
(विशेष रूप से साधारण एवं सहायक नियम 3.61(2)(क) देखें)

(जे०पी० शर्मा)

मण्डल सिग० एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

11. इस स्टेशन के आवश्यक उपस्कर : परिशिष्ट "ड" देखें ।
12. कोहरे के समय बुलाये जाने वाले फॉग सिगनलमैनो के नाम :
कोहरे के समय फॉग सिगनल मैन के रूप में कार्य करने वाले कर्मचारियों के नाम की सूची उनके नाम तथा पद को अंकित करते हुए स्टेशन पर अनुरक्षित फॉग सिगनल पंजिका मे अलग से तैयार की जायेगी ।
13. परिशिष्टों की सूची :
- परिशिष्ट "क" समपार फाटको का संचालन
- परिशिष्ट "ख" संकेतन एवं अर्न्तपाशन की पद्धति
- परिशिष्ट "ग" टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कवच) -
- परिशिष्ट "घ" गाड़ी परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्य
- परिशिष्ट "ड" स्टेशन के आवश्यक उपस्कर
- परिशिष्ट "च" डी०के०स्टेशन, हॉल्ट, आई०बी०एच०, आई०बी०एस० और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम -
- परिशिष्ट "छ" विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम -

टिप्पणी : इन नियमों को किसी भी स्थिति में साधारण एवं सहायक नियमों को रद्द करके, संशोधित करके या सुधार करके न पढ़ा जाय ।

(जे०पी०शर्मा)
मण्डल सिग०एवं दूर संचार इंजी०/इज्जतनगर

(एस०एस०द्विवेदी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

53ए

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/56

हल्दीरोड

परिशिष्ट 'ग'

टक्कर रोधी उपकरण (रक्षा कचच)

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

परिशिष्ट "घ"

1. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक के कर्तव्य

- (क) स्टेशन मास्टर/स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन का सर्वोपरि पर्यवेक्षकीय प्रभारी होता है और वह सामान्यतः स्टेशन के सही, सक्षम एवं सुरक्षित कार्य के लिये पूर्ण रूपेण उत्तरदायी है। कार्य क्षमता के स्तर को बनाये रखने और बढ़ाने के लिये यह उसका कर्तव्य है कि वह हर श्रेणी के कर्मचारी के मध्य अपनी उपस्थिति का आभास कराये और सद्व्यवहार बनाये रखें। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है
1. स्टेशन पर कार्यरत सभी कर्मचारियों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 2. आवधिक जॉच के माध्यम से यह सुनिश्चित करना कि हर श्रेणी का कर्मचारी अपना काम अपने रोजर के अनुसार सही तथा सुरक्षित ढंग से कर रहा है।
 3. कर्मचारियों को अपने कार्यों से सम्बन्धित सभी नियमों को भलीभाँति जानकारी है, को सुनिश्चित करने के लिये स्टाफ का आवधिक परीक्षण तथा जॉच करना।
 4. कर्मचारियों को दुर्घटना से बचाव तथा कार्य को सुरक्षित एवं सही ढंग से करने हेतु शिक्षित करना।
 5. समय-समय पर दिन और रात में सिगनलो, सहायक स्टेशन मास्टर कार्यालय तथा नियम पुस्तको, डायरियों, गाड़ी रजिस्टरो एवं अन्य रजिस्टरो-प्रपत्रों आदि का निरीक्षण करना।
 6. यार्ड और यार्ड उपकरणों का आवधिक निरीक्षण।
 7. आश्वासन पंजिका और स्टेशन संचालन नियमों का रख-रखाव।
 8. सभी अनियमितताओं और नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट एवं निस्तारण करना।
 9. यार्ड में किसी बदलाव की आवश्यकता को देखते हुये सामान्य कार्य में सुधार या सुरक्षित कार्य को सुनिश्चित करने के सुझावों सहित सुझाव का मार्ग और ढंग बताना।
- (ख) वह सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्यों के लिये भी उत्तरदायी है।
- (ग) इस स्टेशन पर नियुक्त स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर होने वाले सभी कार्यों के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी होने के साथ-साथ यार्ड का पर्यवेक्षण विशेष रूप से करेगा।
- (घ) कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित काँटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

2. परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत सहायक स्टेशन मास्टर के कर्तव्य :

- कार्यरत सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन पर और गाड़ियों के संचलन, आगमन एवं प्रस्थान के मामलों में प्रभारी होगा। गाड़ियों के संचलन से सम्बन्धित सभी कर्मचारी उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करेंगे। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-
1. यार्ड, काँटों, सिगनलों, एवं अन्य संरक्षा उपकरणों, निजी संख्या पुस्तिका और सामान्य एवं असामान्य कार्य प्रणाली के लिये वॉछित सभी पुस्तकों आदि की स्थिति की जानकारी मुक्त होने वाले सहायक स्टेशन मास्टर से करें। यह भी सुनिश्चित करें कि स्टेशन डायरी में खराब या अन्य मर्दों का उल्लेख कर दिया गया है।
 2. अपनी डियूटी की पारी में आने एवं जाने वाली सभी गाड़ियों के लिये आगमन अनुमति एवं प्रस्थान प्राधिकारों का देना तथा प्राप्त करना।
 3. ब्लाक उपकरणों का संचालन एवं नियन्त्रण दूरभाष पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना।
 5. सभी सिगनल प्रचालनों का नियन्त्रण।
 6. शन्टिंग प्रचालनों का सामान्य पर्यवेक्षण।
 7. जाने वाली गाड़ियों के चालको को जब जैसी आवश्यकता हो, सतर्कता आदेश एवं सिगनल खराबी की सूचना जारी करना।
 8. स्टेशन डायरी का अनुरक्षण।

(एस०एस०द्विवेदी)

मंडल परिचालन प्रबन्धक/इज्जतनगर

9. गोपनीय संख्या पुस्तिका व्यक्तिगत अभिरक्षा में रखना।
10. कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण।
11. जब स्टेशन मास्टर डियूटी पर नहीं हो, तो स्टेशन की सामान्य देख-रेख करना।
12. कार्यरत स्टेशन मास्टर की यह व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि मोटर चालित कॉटों की विफलता में इनकी ठीक-ठीक सैटिंग एवं पैडलाकिंग स्वयं सुनिश्चित करें।

3. गाड़ी परिचालन कर्तव्यों के अन्तर्गत कॉटावाला के कर्तव्य

डियूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा गाड़ियों के आगमन और प्रस्थान एवं स्टेशन पर गाड़ियों की शन्टिंग के सम्बन्ध में दिये गये आदेशों का पूरी तरह से अनुपालन करने हेतु कार्यरत कॉटावाला उत्तरदायी है। स्टेशन के कार्यों के सुरक्षित तथा त्वरित गति से करने के लिये कॉटावाला को कार्यरत स्टेशन मास्टर के आदेशों का पालन करना है। उसकी डियूटी में यह भी शामिल है :-

गाड़ियों के आगमन / प्रस्थान एवं शंटिंग के लिये उसके निम्न कर्तव्य होंगे :

1. सभी स्टाप सिगनलों के लाल शीशों का सिगनलों में लगा होना सुनिश्चित करना ।
2. कॉटों की विफलता के समय स्टेशन मास्टर के पर्यवेक्षण में कॉटों को सेट एवं पाशित करना।
3. सुनिश्चित करना कि लाइन सभी अवरोधों से मुक्त एवं साफ है।
4. दिन के समय टेल बोर्ड तथा रात्रि में फ्लैशर टाइप टेल लैम्प का प्रकाश देखकर गाड़ी के पूरी आने-जाने को सुनिश्चित करना।
5. सिगनल अथवा कॉटों की विफलता के समय सिगनल के नीचे से प्रोसीड सिगनल देना।
6. कार्यरत स्टेशन मास्टर के दिशा-निर्देश एवं गाड़ी के गार्ड के पर्यवेक्षण में गाड़ियों की स्टेशन पर शन्टिंग करना।
7. आवश्यकता पड़ने पर गाड़ियों का पथ प्रदर्शन करना।
8. कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों के अनुसार फाग सिगनल लगाना
9. स्टेशन लैम्पों को जलाना-बुझाना तथा साफ रखना।
10. उसके प्रभार में कॉटों का सामान्य अनुरक्षण तथा उन्हें पत्थर की गिट्टी और धूल आदि से साफ रखना।
11. कार्यरत स्टेशन मास्टर को तुरन्त रिपोर्ट करना :-
 - i) सिगनल, कॉटों, क्रॉसिंग गार्ड रेलों आदि की खराबी या क्षति के सम्बन्ध में।
 - ii) रेल की सुरक्षा अथवा कार्य में बाधा होने वाली कोई घटना जो उसकी जानकारी में आती है।
12. स्टेशन पर काटे गये खाली वाहनो की तलाशी लेना तथा उसमें कुछ पाये जाने पर स्टेशन मास्टर को अवगत कराना।
13. स्टेशन पर वाहनो को संरक्षा जंजीरों एवं ताले द्वारा सुरक्षित करना।

टिप्पणी :- जो कॉटें, कॉटेवाले द्वारा प्रचालित होते हैं, तब वह उनका पूर्ण प्रभारी होगा। वह कॉटों के सामान्य अनुरक्षण और पत्थर की गिट्टी एवं धूल आदि से साफ रखने के लिये उत्तरदायी है। वह कार्यरत स्टेशन मास्टर द्वारा दिये गये आदेशों का पालन करेगा। यदि उसको, कॉटों के परिचालन का कार्य करने के लिये लगाया जाता है तो संचलन समाप्त होने पर उन्हें पूर्व स्थिति में लायेगा। यदि उसे कॉटों, स्विचों और गार्ड रेलों आदि के संचलन में कमी ज्ञात होती है या अन्य किसी ऐसी घटना जिससे सुरक्षित एवं उपयुक्त रेल कार्य में बाधा पहुँच सकती है, तो उसकी जानकारी कार्यरत स्टेशन मास्टर को देना।

(परिचालन कर्मचारियों के कर्तव्यों का विस्तृत विवरण परिचालन नियमावली के अध्याय 3 में देखें।)

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/56

हल्दीरोड

परिशिष्ट “इ”

स्टेशन पर आवश्यक उपकरण :

इस स्टेशन पर निम्नलिखित संरक्षा उपस्कर आवश्यक रूप से रहेंगे।

- | | | |
|----|--------------------------------|---------------------|
| 1. | हाथ सिगनल बत्ती | - 03 बैट्री आपरेटेड |
| 2. | हाथ सिगनल झण्डी | - 03 हरी तथा 04 लाल |
| 3. | पटाखा सिगनल | - 50 |
| 4. | सुरक्षा जंजीरे | - 04 तालो सहित |
| 5. | क्लैम्प | - 06 तालो सहित |
| 6. | प्राथमिक चिकित्सा बाक्स | - 01 |
| 7. | फायर बकेट | - 06 |
| 8. | अग्निशामक यन्त्र डी०सी०पी०टाइप | - 02 |
| 9. | लकड़ी के गुटके | - 08 |

(जे०ए०आज़मी)

मण्डल परिचालन प्रबन्धक/सा०
पूर्वोत्तर रेलवे, इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।

स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/56

हल्दीरोड

परिशिष्ट 'च'

डी.के.स्टेशन,हाल्ट, आई.बी.एच.,आई.बी.एस.और बाहरी साइडिंगों के संचालन नियम

लागू नहीं

(जे०ए०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर

इसमें संशोधन पर्ची सं० 1 सम्मिलित है।
स्टेशन संचालन नियम संख्या इज्जत/56

हल्दीरोड

परिशिष्ट 'छ'

विद्युतीकृत खण्डों पर गाड़ियों के परिचालन के लिये नियम

लागू नहीं

(जे०एस०आज़मी)
मण्डल परिचालन प्रबन्धक(सा)
इज्जतनगर